Order Sheet [Contd] Case No 82/2017 बी.ए

	Case 140 02 / 21	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23-02-2017	आवेदिका श्रीमती राधा शर्मा की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क० 132/16 धारा 498ए, 294, 506बी, 34 भाठदंठवि० की केश डायरी मय कैफियत के पेश। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्र०क० 22/2017 ई०फौ० पु० गोहद चौराहा वि० मनोज आदि प्राप्त। आवेदिका की ओर से अधि. श्री बी.एस.यादव द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जाठफौ० का पेश कर प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जाठफौ० का पेश कर प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र बल न देने से निरस्त होना बताया है। आवेदिका की ओर से द्वितीय अग्रिम आवेदनपत्र में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा फरियादिया से मिलकर आवेदकगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। जबिक आवेदिका का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं। वह फरियादिया से प्रथक निवास करती है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। प्रकरण में सहआरोपीगण की अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। पुलिस आवेदिका को गिरफतार करना चाहती है, यदि उसे झूठे अपराध में गिरफतार किया गया तो उसकी छिब धूमिल हो जावेगी। आवेदिका अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदिका को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि वर्तमान आवेदिका फरियादिया की सास है और उस पर स्पष्ट रूप से यह आक्षेप लगाया	A Train
	गया है कि उसके द्वारा पीडिता को दहेज की मांग की गई और दहेज	

की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया गया है। आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया रेनू शर्मा के आवेदनपत्र के आधार पर कि उसका विवाह दिनांक 30.01.2015 को आरोपी मनोज के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के पश्चात् वह एवं उसके परिवार के अन्य लोग जिनमें वर्तमान आवेदिका जो कि फरियादिया की सास है के द्वारा भी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया जा रहा है, जिस पर महिला थाना ग्वालियर में अपराध दर्ज होकर अपराध थाना गोहद चौराहा का होने से गोहद चौराहा थाने को भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना गोहद चौराहा के द्वारा विवेचना की जाकर अभियोगपत्र पेश किया गया है, जिसमें कि वर्तमान आवेदकगण फरार होना दर्शाते हुए अभियोगपत्र उनकी अनुपरिथित में पेश किया गया है।

आवेदिका अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि वर्तमान आवेदिका फरियादिया की सास होकर महिला है। सहआरोपी साधना एवं प्रिया की अग्रिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है। इस आधार पर वर्तमान आवेदिका भी अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान आवेदिका महिला है, किन्तु यह भी स्पष्ट हे कि आवेदिका फरियादिया की सास है। वर्तमान आवेदिका पर स्पष्ट रूप से यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने फरियादिया से दहेज की मांग की और दहेज न लोने पर ताने दिए और दो लाख रूपए दहेज लाने के लिए कहा और सास के द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस प्रकार वर्तमान आवेदिका पर स्पष्ट रूप से दहेज की मांग को लेकर पीडिता को परेशान व प्रताडित किया जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से आक्षेप है। यद्यपि सहआरोपी साधना व प्रिया की अग्रिम जमानत स्वीकार की गई है, किन्तु उक्त आरोपीगण जो कि फरियादिया से प्रथक रहने के आधार पर और उन पर लगाए गए आक्षेपों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का पात्र होना पाया गया था, जबिक वर्तमान आवेदिका पीडिता की सास होकर उस पर स्पष्ट रूप से दहेज की मांग मरने और इस हेतु प्रताडित करने का स्पष्ट आक्षेप है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि अन्य सहआरोपी साधना व प्रिया की अग्रिम जमानत स्वीकार की गई है, वर्तमान आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

विचारोपरांत प्रकरण के सर्म्पूण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत

रखते हुए आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सहित केश डायरी व मूल अभिलेख बापस किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (डी0सी0थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद